


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक B/3942 / जबलपुर, दिनांक 07 / 10 / 2020


श्री विनोद परमार, परिवीक्षाधीन कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर द्वारा उनके विरुद्ध पोलीस स्टेशन, छत्रीपुरा, जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 95/2009 धारा 13 जुआ एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी छिपाये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।


06X2000
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/3943 / जबलपुर, दिनांक 07 / 10 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर(म.प्र.),
 2. रजिस्ट्रार प्रशासन/व्ही.एल./न्यायिक 1 एवं 2/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
 4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट हेतु, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री विनोद परमार, परिवीक्षाधीन कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
12